न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 13/2021 (2021/35)

तारीख दायरा–18.01.2021

तारीख निर्णय–18.02.2021

उनवान

1. श्री धर्मेन्द्रसिंह पिता उगरसिंह धाबाई उम्र वयस्क निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा ।
2. श्री नरेन्द्रसिंह पिता उगरसिंह धाबाई उम्र वयस्क निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा ।
3. श्री मनोहरसिंह पिता उगरसिंह धाबाई उम्र वयस्क निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा
4. श्री कानसिंह पिता उगरसिंह धाबाई उम्र वयस्क निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा ।
5. श्रीमती उषा कुवंर पुत्री उगरसिंह धाबाई पत्नी अशोकसिंह राणावत उम्र वयस्क निवासी खेडीया तहसील भीण्डर ।
6. श्रीमती कमला कुवंर पुत्री उगरसिंह धाबाई पत्नी धनश्यामसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी भैसोडगढ ।
7. श्रीमती स्नेहलता कुवंर पुत्री उगरसिंह धाबाई पत्नी स्व. देवीसिंह दोडीया उम्र वयस्क निवासी बेदला ।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्री जीतमल पिता कालुलाल लोढा जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा ।
2. श्री कैलाश लोढा पिता जीतमल लोढा जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा ।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री महेन्द्र कुमार पालीवाल

प्रतिवादी की ओर से– श्री राजवीरसिंह झाला

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के सयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृर्षि भूमि मोजा गोगुन्दा पटवार हल्का गोगुन्दा के खाता संख्या 373 आराजी संख्या 5326 रकबा 0. 0950 है0 भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा एवं प्रवितादी संख्या 1 का 1775/5111 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 2502/5111 हिस्सा निहित हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सयुक्त खातेदार है जिसका विधिक विभाजन नहीं हुआ हैं । वादग्रस्त भुमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त आराजीयात भूमि होकर हिस्से अनुसार मौके पर काबीज हो काश्त करते चले आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादी के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादी को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाई परन्तु प्रविवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का बिना विधिक विभाजन कराये

Neelam

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)

निर्माण कार्य करवा रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक एवं अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात का विधिक विभाजन मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें साथ वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर निर्माण कार्य रोका जावें।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रविादीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री राजवीर सिंह झाला का वकालत नामा पेश हुआ। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी पेश कर निवेदन किया की वादीगण का वाद अपोषनीय है क्योंकि वादीगण ने अपने वादपत्र में वादग्रस्त आराजीयात मौजा गोगुन्दा के आराजी संख्या 5326 रकबा 0.0950 है0 भूमि में बंटवाडा चाहा है तो निवेदन है कि उक्त आराजीयात बाबत् उपखण्ड अधिकारी महोदय के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थानी काश्तकारी कानूनी के तहत 18.02.2015 को पेश किया गया था जिसका उनवान जितमल लोढा बनाम गोवर्धनसिंह वगैरह हो प्रकरण संख्या 24/2015 (राजस्व वाद) है जिसमें प्रतिवादीगण के पक्ष में उक्त वाद डिक्री हुआ जिसमें वादीगण भी प्रतिवादीगण से उक्त सम्पती बाबत् वादी सन् 2015 से न्यायालय में विचाराधीन है उसके बाद आज दिनांक को रेवेन्यु बोर्ड अजमेर में विचाराधीन होकर प्रकरण संख्या 3254/2020 हो दिनांक 12.05.2021 को पेशी नियम है। वादीगण को यह जानकारी है कि उक्त आराजीयात बाबत् अजमेर बोर्ड में मामला विचाराधीन है। उसके बावजुद नया वाद एक ही स्थल का एक ही पक्षकार के खिलाफ न्यायालय श्रीमान के समक्ष लाया गया है, जो अपोषणीय है। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जो वाद को खारिज फरमाया जावें। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

हमनें उभय पक्ष की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। मौजा गोगुन्दा के आराजी संख्या 5326 रकबा 0.0950 है0 भूमि एवं समान पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त भूमि का वाद माननीय राजस्व न्यायालय राजस्थान अजमेर में विचाराधीन होने से एक ही प्रवृति के अन्य प्रकरण को इस न्यायालय में सुनना उचित नही होने से एवं प्रार्थना पत्र ओदश 07 नियम 11 साबित पाये जाने से वादी का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा गोगुन्दा के आराजी संख्या 5326 रकबा 0.0950 है0 भूमि एवं समान पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त भूमि का वाद माननीय राजस्व न्यायालय राजस्थान अजमेर में विचाराधीन होने से एक ही प्रवृति के अन्य प्रकरण को इस न्यायालय में सुनना उचित नही होने से एवं प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 साबित पाये जाने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। एतद्नुसार डिक्री जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Neelam

(नीलम लखारा)

उपखण्ड अधिकारी

गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिकी

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 13/2021 (2021/35)

तारीख निर्णय–18.02.2021

उनवान

1. श्री धर्मेन्द्रसिंह पिता उगरसिंह धाबाई उम्र वयस्क निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा ।
2. श्री नरेन्द्रसिंह पिता उगरसिंह धाबाई उम्र वयस्क निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा ।
3. श्री मनोहरसिंह पिता उगरसिंह धाबाई उम्र वयस्क निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा
4. श्री कानसिंह पिता उगरसिंह धाबाई उम्र वयस्क निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा ।
5. श्रीमती उषा कुवंर पुत्री उगरसिंह धाबाई पत्नी अशोकसिंह राणावत उम्र वयस्क निवासी खेडीया तहसील भीण्डर ।
6. श्रीमती कमला कुवंर पुत्री उगरसिंह धाबाई पत्नी धनश्यामसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी भैसोडगढ ।
7. श्रीमती स्नेहलता कुवंर पुत्री उगरसिंह धाबाई पत्नी स्व. देवीसिंह दोडीया उम्र वयस्क निवासी बेदला ।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्री जीतमल पिता कालुलाल लोढा जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा ।
2. श्री कैलाश लोढा पिता जीतमल लोढा जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा ।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री महेन्द्र कुमार पालीवाल

प्रतिवादी की ओर से– श्री राजवीरसिंह झाला

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 18.02.2021 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिकी किया जाता है मौजा गोगुन्दा के आराजी संख्या 5326 रकबा 0.0950 है0 भूमि एवं समान पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त भूमि का वाद माननीय राजस्व न्यायालय राजस्थान अजमेर में विचाराधीन होने से एक ही प्रवृति के अन्य प्रकरण को इस न्यायालय में सुनना उचित नही होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

Neelam

(नीलम लखारा)

उपखण्ड अधिकारी

गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)